

फर्द अहकाम

न्यायालय उपाखण्ड अधिकारी, कोटपूतली जिला जयपुर (राजस्थान)

रतनलाल बन्नाम तहसीलदार

दावा/प्रार्थना पत्र संख्या- 19/2022

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16.12.2022	<p>पत्रावली आज कैम्प में पेश हुई। उभयपक्ष उपस्थित। उभयपक्षों को सुना गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। प्रार्थी प्रश्नागत भूमि का रिकॉर्ड खातेदार जमाबन्दी सम्बन्ध 2075-2078 से प्रमाणित है तथा भूमि का पूर्व में सीमाज्ञान हो चुका है इसलिये पत्थरगढी किया जाना न्यायसंगत है।</p> <p>अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 102, 103, 106, 107, 108, 116, 109 वाके मौजा जो पीपूरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर का पूर्व में हुए सीमाज्ञान के अनुसार पड़ोसी खातेदारान को सूचित कर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए पत्थरगढी किये जाने के आदेश तहसीलदार, कोटपूतली को दिये जाते है। पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।</p>	

उपाखण्ड अधिकारी  
कोटपूतली (जयपुर)